बिना किसी द्वेष भाव के

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(पी0एम0जी0एस0वाई0 सेल)
Office of Engineer-in-Chief
(PMGSY CELL)
उ0प्र0,लो0नि0वि0,लखनऊ–226001
UP PWD, Lucknow-226001

लोक निर्माण विभाग 96, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ–226001
96, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow
Office: 0522-2235461
E-Mail: pmgsycell@gmail.com

पत्रांकः– 587 प्र0प0/423 प्र0प0/22 दिनांकः– 11-05-22

कार्यालय ज्ञाप

मेसर्स अतुल ग्राम विकास संस्थान प्रा0लि0 372/41, सिविल लाइन्स, ग्वालियर रोड, झाँसी के पक्ष में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद झाँसी में पैकेज संख्या यू0पी0 3868 के अन्तर्गत अनुबन्ध संख्या–03/S.E.PMGSY CIRCLE KANPUR 2019-20, DATE 27-11-2019 का गठन अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लो0नि0वि0, कानपुर द्वारा किया गया था, जिसके कार्य प्रारम्भ की तिथि 27.11.2019 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 26.07.2020 थी।

मेसर्स अतुल ग्राम विकास संस्थान प्रा0लि0, झाँसी द्वारा उपरोक्त अनुबन्ध के गठन के कम में परफार्मेन्स सिक्योरिटी के रूप में बैंक गारण्टी संख्या 0796IGPER000519, दिनांक 27.11.2019 रू0 70,32,000.00 उपलब्ध करायी गयी तथा मोबिलाइजेशन एडवान्स हेतु सिक्योरिटी के रूप में बैंक गारण्टी संख्या 0796IGPER000719, दिनांक 23.12.2019 रू0 30,82,000.00 उपलब्ध करायी गयी। उपरोक्त दोनों बैंक गारण्टी बैंक ऑफ बड़ौदा, झोकनबाग झाँसी द्वारा निर्गत की गयी थी।

मेसर्स अतुल ग्राम विकास संस्थान प्रा0लि0, झाँसी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त बैंक गारण्टियों को प्रमाणित करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1 (प्र0प0), लो0नि0वि0, झाँसी ने अपने पत्र संख्या 202/ए–1/2020, दिनांक 18.03.2020 तथा 306/ए–1/बी0जी0/2020, दिनांक 08.06.2020 द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा, झोकनबाग, झाँसी से अनुरोध किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा, झोकनबाग, झाँसी ने अपने पत्र संख्या BOB:JHS:2019-20:101, दिनांक 26.03.2020 तथा BOB:JHS:2019-20;107, दिनांक 09.06.2020 द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त बैंक गारण्टी संख्या उनके द्वारा निर्गत किया गया है, परन्तु प्रस्तुत बैंक गारण्टी, मूल बैंक गारण्टी की रंगीन छायाप्रति है। यह भी अवगत कराया गया कि मेसर्स अतुल ग्राम विकास संस्थान प्रा0लि0, झाँसी ने मूल बैंक गारण्टी के साथ अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लो0नि0वि0, कानपुर का पत्र संख्या 650/24सी/पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त/2019, दिनांक 05.12.2019 एवं पत्र संख्या 2794/24सी/पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त/2020, दिनांक 06.02.2020 के साथ संलग्न कर उपरोक्त बैंक गारण्टियों को अवमुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके कम में बैंक ऑफ बड़ौदा, झोकनबाग, झाँसी ने उपरोक्त बैंक गारण्टियों के विरूद्ध सुरक्षा जमा राशि को अवमुक्त कर दिया गया। अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लो0नि0वि0, कानपुर ने अपने पत्र संख्या 3157/24सी(यू0पी0–3868)–पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त/2020, दिनांक 09.06.2020 द्वारा अवगत कराया गया कि उनके कार्यालय के उपरोक्त पत्र दिनांक 05.12.2019 एवं 06.02.2020 द्वारा उपरोक्त बैंक गारण्टियों को अवमुक्त करने हेतु बैंक ऑफ बड़ौदा, झोकनबाग, झाँसी से कोई अनुरोध प्रेषित नहीं किया गया।

उपरोक्त तथ्यों के संज्ञान में आने पर मेसर्स अतुल ग्राम विकास संस्थान प्रा0लि0 372/41, सिविल लाइन्स, ग्वालियर रोड, झाँसी को पत्र संख्या 296प्र0प0/423प्र0प0/22, दिनांक 14.03.2022 द्वारा बिना किसी द्वेष भाव के कारण बताओं नोटिस प्रेषित की गई, जिसके कम में मेसर्स अतुल ग्राम विकास संस्थान प्रा0लि0, झाँसी के निदेशक श्री मोहित पोरवाल द्वारा अपना बचाव उत्तर दिनांक 24.04.2022 जो कार्यालय में दिनांक 05.04.2022 को प्राप्त हुआ, प्रेषित किया गया। मेसर्स अतुल ग्राम विकास संस्थान प्रा0लि0, झाँसी ने अपने बचाव उत्तर में उल्लेख किया गया है कि ठेकेदारी का कार्य उनके पिता करते थे तथा उनके पिता जी के निकटतय किसी व्यक्ति ने ईर्ष्या/द्वेषभाव रखते हुये इस घटना को अंजाम दिया गया। यह भी अवगत कराया कि बैंक गारण्टी के निरस्त होने की जानकारी प्राप्त होने पर उतनी ही धनराशि की एफ0डी0आर0 जमा करा दी गयी तथा कार्य को भी पूर्ण किया गया।

कमशः पृष्ठ 2 पर

मेसर्स अतुल ग्राम विकास संस्थान प्रा0लि0, झाँसी के उपरोक्त बचाव उत्तर पर अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लो0नि0वि0, कानपुर के पत्र संख्या 961परि0/104परि0–पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त/2022, दिनांक 26.04.2022 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1 (प्र0प0), लो0नि0वि0, झाँसी से सहमत होते हुये मेसर्स अतुल ग्राम विकास संस्थान प्रा0लि0, झाँसी द्वारा परफार्मेन्स सिक्योरिटी एवं मोबिलाइजेशन एडवान्स के सम्बन्ध में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर सुनियोजित, दुसाहसिक जालसाजी एवं धोखाधड़ी किये जाने के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1 (प्र0प0), लो0नि0वि0, झाँसी के पूर्व प्रेषित पत्र संख्या 56/ए–1/बी0जी0/2022, दिनांक 27.01.2022 एवं पत्र संख्या 76/ए–1/बी0जी0/2022, दिनांक 04.02.2022 द्वारा काली सूची में डाले जाने की संस्तुति पर सहमति से अवगत कराया है।

फर्म द्वारा उपरोक्त उल्लिखित कार्य के अनुबंध गठन के समय परफार्मेन्स सिक्योरिटी से सम्बन्धित फर्जी बैंक गारण्टी अर्थात रंगीन फोटो कापी प्रस्तुत करने, कार्य के मोबिलाइजेशन एडवान्स हेतु प्रस्तुत फर्जी बैंक गारण्टी अर्थात रंगीन फोटो कापी प्रस्तुत करने, तत्पश्चात उक्त बैंक गारण्टियों को, अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लो0नि0वि0, कानपुर का फर्जी पत्र संलग्न कर बैंक से अवमुक्त कराते हुये बैंक में फर्म का सुरक्षा जमा राशि को कैश कराने के सम्बन्ध में किये गये सुनियोजित, दुसाहसिक जालसाजी एवं धोखाधड़ी में संलिप्ता होती है एवं स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेन्ट (एस0बी0डी0) के सेक्शन–2 Instruction to Bidder के क्लॉज 32 – Corrupt and Fradulent Practice एवं सेक्शन–4 पार्ट–I सामान्य शर्त के क्लॉज 52.2(g) का दोषी पाया गया है। उपरोक्त के क्रम में ठेकेदार का अपने पत्र द्वारा दिये गये बचाव उत्तर मान्य नहीं है। ठेकेदारी फर्म का प्रोपराइटर/निदेशक अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त कार्मिकों के कृत्यों हेतु उत्तरदायी है। ठेकेदार का उक्त अपकृत्य, निर्माण कार्य के दायित्वों के प्रति विभाग के विश्वास को क्षति पहुँचाई है। साथ ही साथ उक्त अपकृत्य का भविष्य में उक्त ठेकेदार अथवा अन्य द्वारा पुनरावृत्ति नहीं हो, यह सुनिश्चित भी किया जाना आवश्यक है।

अतः अनुबन्ध एवं शासनादेश संख्या 4127एम0एस0/23स0नि0अनु0–7, दिनांक 02.12.1974 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत, मेसर्स अतुल ग्राम विकास संस्थान प्रा0लि0 372/41, सिविल लाइन्स, ग्वालियर रोड, झाँसी, उक्त फर्म के निदेशक श्री मोहित पोरवाल एवं पार्टनर श्रीमती पुष्पा पोरवाल को लोक निर्माण विभाग में प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क) के अधीन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वाहय सहायतित योजना, राष्ट्रीय मार्ग एवं इण्डो–नेपाल बार्डर के समस्त कार्यों हेतु तीन वर्ष के लिये डिबार (Debar) किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

उक्त आदेश प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते है।

B Rawat 11.5.22

(बी0एस0 रावत)
मुख्य अभियन्ता
a/c पी0एम0जी0एस0वाई0 सेल
लो0नि0वि0, लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/(ग्रामीण सड़क)/(परि0/नियो0), लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (मु0–2), सामान्य वर्ग, लो0नि0वि0, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता, वाहय सहायतित योजना/राष्ट्रीय मार्ग/इण्डो–नेपाल बार्डर, लो0नि0वि0, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 क्षेत्र, लो0नि0वि0, लखनऊ/प्रयागराज/मेरठ।
7. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लो0नि0वि0,..............................।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 इकाई, लो0नि0वि0, ...।
10. मेसर्स अतुल ग्राम विकास संस्थान प्रा0लि0 372/41, सिविल लाइन्स, ग्वालियर रोड, झाँसी। (पंजीकृत डाक द्वारा)

B Rawat 11.5.22

मुख्य अभियन्ता
a/c पी0एम0जी0एस0वाई0 सेल
लो0नि0वि0, लखनऊ